सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 13 चैत्र, 1945 (श०) / 03 अप्रील, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग - -	02
(2)	गृह विभाग - -	01
	कुल योग --	03

नोटिफिकेशन संख्या दर्ज करना

89. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 12011/9/2004 बी0सी0सी0, दिनांक 16 जनवरी, 2006 द्वारा कुर्मी जाति नोटिफिकेशन नम्बर 12018/6/2005 बी0सी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2010 अदरखी जाति एवं 12015/15/2008 बी0सी0सी0, दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा बढ़ई जाति तथा 12011/6/014 बी0सी0 II, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 द्वारा चिपी जाति को ओ0बी0सी0 सूची जाति संवर्ग में रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन जातियों को ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो प्रमाण-पत्र में नोटिफिकेशन संख्या नहीं रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जातियों के प्रमाण-पत्र निर्गत करने में नोटिफिकेशन संख्या दर्ज करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

90. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "कातिलों को बेनकाब करने में पुलिसिया तंत्र विफल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एन0सी0आर0बी0 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2021 तक बिहार में कुल 5949 हत्याएँ हुई, इनमें से वर्ष 2020 में 220 और 2021 में 280 हत्या कांडों का पर्दाफाश नहीं हो सका, जबकि अनसुलझे केस में बिहार पुलिस नम्बर वन पर, झारखंड दूसरे एवं राजस्थान तीसरे नम्बर पर है, यदि हाँ, तो सरकार इस तरह के हत्या कांडों का शत-प्रतिशत पर्दाफाश करने हेतु कौन-सी व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यक्रम प्रारंभ कराना

91. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रक्रिया को आम आदमी के बीच व्यावहारिक बनाकर एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढाँचा सुलभ करने हेतु पत्र संख्या 18/विविध-06-12/2014-16641, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से लोक संवेदना अभियान हेतु राज्य के सभी विभागों, प्रमंडल एवं जिलास्तर के अधिकारियों को निदेशित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी सरकारी कर्मियों के व्यवहार में जन-प्रतिनिधियों, वृद्ध, महिला, निःशक्त एवं समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों एवं जन-साधारण के प्रति संवेदनशीलता लाने तथा कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिये आवश्यक जन सुविधाएँ उपलब्ध करानी थी, किन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनः जनहित में उक्त पत्र के लोक संवेदना से संबंधित कार्यक्रम को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 3 अप्रील, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 113(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550